

14/5/18

पत्राचार) आम न्याय आदेश को उच्च अदालत में
पेश है। कानून अदालत को स्थायी
अधिकार देने के लिए जो कार्य है स्थायी अदालत
में स्थायी अधिकार देना वह सामान्य है
क्षेत्राधिकार में आए हैं अतः सामान्य है
क्षेत्राधिकार में आए हैं के कारण
वही है जो स्थायी अदालत में
पत्राचार के लिए अदालत को दफ्तर में

सहायक कलेक्टर
डीडवाना